प्रपत्र

संख्या एफ ७ (१३६) २७०/५/५४ — जयपुर, दिनांक १०

चूंकि इससे नीचे संलग्न अनुसूची में वर्णित वन-भूमि तथा बंजर-भूमि प्रतीत होती है और सरकार के और राजस्व के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम, १९५३, (१९५३ का १ अधिनियम संख्या १५) की धारा २९ की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुपालन में किया जा चुका है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय ४ के अनुरूप, पूर्वोक्त वन-भूमि पर लागू होने की कि वन संरक्षित वन कहलाया जायेगा।

भूमि का विवरण

वन-खण्ड रामगढ़

जिला	तहसील	पट्टी	मौजा	अनुमानित क्षेत्रफल एकड़ों में	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
कोटा	किशनगंज		(१) रामगढ़	२४०६.६२	
			(२) फतहपुर काचरा	६८.६०	
			(३) अलवीपुरा उर्फ प्रेमपुरा	१४.७२	
			(४) डाबी	६४६.१२	
			(५) बेलपुरा	४०२.००	
			(६) अकुमीपुरा	१७२.५२	
			(७) भीमपुरा	१.१८	
			(८) दूनेर	१३.०२	
			(९) मानपुरा	२७.५८	
			योग	१९५२.१६	

रामगढ़ माता जी परिक्रमा मार्ग फाइल नोटिफिकेशन

1580.86 है

परिशिष्ट (अ)

वन-खण्ड रामगढ़, रेंज किशनगढ़ की सूची सीमा-चिह्न निम्न प्रकार है:—

क्रम सं०	स्तम्भ सं० से	स्तम्भ सं० तक	दूरी मीटर में		दिशा आगामी स्तम्भ तक सीधा रेखा का प्रकार
			मीटर	सेंटीमीटर	
					(एप्रोक्सिमेट फारवर्डिंग बीयरिंग)
१	१	२	४	४४	उत्तर-उत्तरीय-पूर्वीय
२	२	३	१	००	"
३	३	४	१	३०	उत्तर-पश्चिम-उत्तरीय
४	४	५	२	६५	उत्तर-पूर्व
५	५	६	२	३४	"
६	६	७	४	८०	"
७	७	८	१	५०	उत्तर-पूर्व-पूर्वीय
८	८	९	३	००	उत्तर-पूर्व
९	९	१०	३	००	"
१०	१०	११	४	६०	"
११	११	१२	६	७४	"
१२	१२	१२/१	२	८०	दक्षिण ६२ पश्चिम २
१३	१२/१	१२/२	१७	४५	दक्षिण ६२ पश्चिम ६

(सोनक कुमार ...)
उप वन संरक्षक
कोटा